मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2009—पौष 19, शक 1930

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2.—नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997 के नियम 7-क के उपनियम (1) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए भोपाल में राज्य अपीलीय **चिकित्सा मण्डल** का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश	—	अध्यक्ष
(2) संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश	—	सदस्य
(3) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का डीन	—	सदस्य
(4) विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के दो प्रोफेसर (विशेषज्ञता/नि:शक्तता (इम्पेयरमेन्ट)/नि:शक्त (डिसएबिलिटी) से संबंधित विशेषज्ञ).	—	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2-239-73-2-1-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

Bhopal, the 9th January 2009

No.F-8-1-01-XVII-Med-2.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 7-A of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1997, the State Government, hereby, constitutes the **State Appellate Medical Board** at the Bhopal consist of following members for the purpose of the said rules, namely:—

(1) Director, Medical Education, Madhya Pradesh — Chairman

(2) Director, Medical Services, Madhya Pradesh — Member

(3) Dean, Gandhi Medical College, Bhopal — Member

(4) Two Professors of various Government Medical Colleges, (each concerned Specialty/Impairment/Disability) as nominated by Chairman. — Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JAISHRI KIYAWAT, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2.—नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997 के नियम 7 के उपनियम (1) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए **संभागीय अपीलीय चिकित्सा मण्डल** का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1) 1. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का डीन — अध्यक्ष

2. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मेडिसिन का प्रोफेसर — सदस्य

3. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का प्रोफेसर [विशेषज्ञता/नि:शक्तता (इम्पेयरमेन्ट)/नि:शक्त (डिसएबिलिटी) से संबंधित विशेषज्ञ]. — सदस्य

4. सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक (उस जिले का, जहां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है). — सदस्य

(2) ऐसे संभागों के लिए जहां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है या जहां वर्तमान में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिंक/रेफरल हेतु व्यवस्था निम्नानुसार होगी:—

अनुक्रमांक (1)	संभाग का नाम (2)	संभागीय अपीलीय चिकित्सा मण्डल (3)
1	सागर	भोपाल
2	नर्मदापुरम	भोपाल
3	शहडोल	रीवा
4	चंबल	ग्वालियर
5	उज्जैन	इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2-239-73-2-1-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

Bhopal, the 9th January 2009

No.F-8-1-01-XVII-Med-2.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 7 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1997, the State Government, hereby, constitutes the **Divisional Appellate Medical Board** at Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur and Rewa consist of following members for the purpose of said rules, namely:—

(1) 1. Dean of Government Medical College — Chairman

2. Professor of Medicine of Government Medical College — Member

3. Professor of Government Medical College (concerned Specialty/Impairment/Disability). — Member

4. Civil Surgeon-Cum-Chief Hospital Superintendent (District where Medical College is situated). — Member

(2) For such divisions where there is no Government Medical College, or where the Medical College is not functioning at present, the link/referral arrangements will be as under:—

S. No. (1)	Division Name (2)	Divisional Appellate Medical Board (3)
1	Sagar	Bhopal
2	Narmada Puram	Bhopal
3	Shahdol	Rewa
4	Chambal	Gwalior
5	Ujjain	Indore

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JAISHRI KIYAWAT, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2.—नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए राज्य में **जिला चिकित्सा मण्डल** का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1) जिला स्वास्थ्य अधिकारी (सिविल सर्जन), (जिला पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में). — अध्यक्ष

(2) सिविल सर्जन द्वारा नामनिर्दिष्ट शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ [विशेषज्ञता नि:शक्तता (इम्पेयरमेन्ट)/नि:शक्त (डिसएबिलिटी) से संबंधित विशेषज्ञ]. — सदस्य

(3) सिविल सर्जन द्वारा नामनिर्दिष्ट शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ [जहां तक संभव हो विशेषज्ञता/निःशक्तता/निःशक्त (डिसएबिलिटी) से संबंधित विशेषज्ञ, नहीं मिलने पर कोई चिकित्सा विशेषज्ञ]. — सदस्य

टीप.—यदि सरल क्रमांक (2) पर ऐसा विशेषज्ञ जिले में उपलब्ध न हो, तो सिविल सर्जन संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवा की अनुज्ञा से उसी संभाग से लगे हुए जिले के विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2-239-73-2-1-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, उपसचिव.

Bhopal, the 9th January 2009

No.F-8-1-01-XVII-Med-2.—In pursuance of Rule 4 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 1997, the State Government, hereby, constitutes the **District Medical Board** in the State consist of following members for the purpose of the said rules, namely:—

(1) District Health Officer (Civil Surgeon) (as a representative of Zila Panchayat). — Chairman

(2) Medical Specialist nominated by Civil Surgeon (Concerned specialty/Impairment/Disability). — Member

(3) Medical Specialist nominated by Civil Surgeon (as for as possible of Concerned Specialty/Impairment/ Disability, otherwise any Medical Specialty) — Member

Note.—If such specialist as mentioned at Serial No (2) is not available in the District then Civil Surgeon with permission of Joint Director, Health Services may nominate specialist of adjoining district of the same Division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JAISHRI KIYAWAT, Dy. Secy.